nt>

Title: Regarding non-payment of salaries to employees of Andaman Forest Development Corporation.

MR. SPEAKER: Shri Manoranjan Bhakta.

You have given notice for two matters − (1) salaries of employees of Andaman & Nicobar Plantation and Forest Development Corporation and (2) usage of sand and metal stone. You can raise only one matter.

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक केन्द्र शासित इलाके अंडमान-निकोबार से आता हूं। वर्तमान समय में अंडमान-निकोबार में बेरोजगारी काफी बढ़ चुकी है क्योंकि ऐनवायर्नमैंट एंड फॉरेस्ट के नाम पर और सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर लोगों पर जुल्म होता है। वहां सारा काम-काज बंद हो चुका है क्योंकि निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है। अंडमान-निकोबार फॉरेस्ट प्लान्टेशन डैवलपमैंट कार्पोरेशन, जिसमें दो हजार लोग काम करते थे, उनको तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिली। वे काफी दिक्कत में हैं। मौजूदा टिम्बर इंडस्ट्रीज बंद होने से पचास हजार का एक्सट्रा बर्डन हो चुका है। अगर चार लाख की आबादी में से एक लाख लोग बेरोजगार होंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। हम इस बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों से मिल चुके हैं लेकिन कोई रास्ता निकलकर नहीं आया।

मैं सदन और सरकार का ध्यान आकृट करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर दूरदराज द्वीप में यही हालत चलती रहेगी, विकास का सारा काम बंद रहेगा और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो वे लोग भी नार्थ-ईस्ट के रास्ते पर जाने लगेंगे जो उचित नहीं है।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: It is an important matter. I am sure it should be looked into.

श्री मनोरंजन भक्त : मैं रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि जिनकी असैम्बली नहीं है, कुछ नहीं है, उनके लिए सदन में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हमें अपनी बात कहने के लिए और कोई जगह नहीं है।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए नोटिस दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : हम छोटे हैं इसलिए हमको हमेशा पीछे ही किया जाता है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अंडमान निकोबार के लोगों की आशा आकांक्षा को पूरा करने के लिए वहां विधान सभा बनाने का प्रावधान भी होना चाहिए।

MR. SPEAKER: I am sure the Government will consider your views.

श्री मनोरंजन भक्त : यह काम जितनी जल्दी हो, उतना अच्छा है। इस पर पहले भी एक बार चर्चा हुई थी। श्री बसुदेव आचार्य जी का एक बिल था, उस बिल पर चर्चा के दौरान पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने आश्वासन दिया था कि हम सरकार की तरफ से एक बिल लायेंगे। उसके बाद उसे विदड्रा कर लिया गया। उसके 15 दिन के अंदर उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। उसमें इस संबंध में कन्सेन्सस हुआ। उस समय के होम मिनिस्टर स्वर्गीय श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इसकी शुरुआत की। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: We can understand your agony. I am sure the Government will consider your views.

श्री मनोरंजन भक्त : मैं आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जो छोटे-छोटे द्वीप या इलाके हैं, जो केन्द्र शासित इलाके हैं, उनके बारे में नये तरीके से विचार किया जाये। हमारी पार्टी का जो मेनिफेस्टो था, उसमें टेरीटोरियल स्टेट्स में विधान सभा देने की बात कही गयी थी लेकिन पता नहीं क्या हुआ ? **मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें।**

MR. SPEAKER: Shri Bhakta, you no longer need a discussion under Rule 193 on this subject.